राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	1813/2025 सुरजमल बनाम रामजीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते रेस्पो. को उपस्थित होकर आवश्यक रूप से मौखिक/लिखित बहस किये जाने हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो।	
07/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता रेस्पो. को पूर्व में भी मौखिक/लिखित बहस हेतु अवसर दिये जाने के पश्चात भी आज दिनांक को भी उपस्थित नही आये है। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 08/01/2026 को पेश हो।	
08/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/05/2025 पारित करते हुये विवादित भूमि खसरा नम्बर 1814/5, 1815/3, 1820/02, 1823/1, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828/3, 1829/3 तथा 1830/3 वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमू के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के जवाब पेश होने तक उभयपक्षकारान को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/05/2025 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है, जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष/उज्र प्रस्तुत किया जाना अभी शेष है एवं बाद सुनवाई पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार जाहिर नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन	

MNo 9414467561

(2/15)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरजमल बनाम रामजीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस अपील के माध्यम से कोई हस्त;क्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 30/05/2025 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	